फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

रामपाल बनाम कमलेश वगै0

वाद नं0 :– 163/2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
23.01.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम डांगरवाडा खुर्द, पटवार हल्का लांगडियावास, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में प्रार्थी की खातेदारी खसरा नम्बर 312 रकबा 1.'1500है0 अनुसार स्थित है। उक्त खातेदारी भूमि के लगवा अनुसार गै0मु0रास्ता खसरा नम्बर 221 अनुसार स्थित है। लेकिन उक्त गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 221 में आवागमन हेतु गै0मु0 आबादी में से होकर चले आ रहे रास्ते के बीच में खसरा नम्बर 223 एवं 224 की भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, जिससे उक्त रास्ते से होकर आवागमन करने में अप्रार्थीगण बाधा, दखल, व व्यवधान करते है एवं रास्ते में गिटडी रोड सडक निर्माण में तकनिकी बाधा है। इसके अलावा प्रार्थी की भूमि में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 221 से होकर आवागमन करने के लिए राजस्व रिकार्ड में रास्ते को अंकन नही है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि व अन्य पडोसी भूमियों के लगवा स्थित गै0मु0रास्ता खसरा नम्बर 221 को आबादी में सडक से आवागमन के बीच में अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 12 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 223 एवं अप्रार्थीगण सं0 13 व 14 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 224 अनुसार स्थित होने को आबादी भूमि खसरा नम्बर 225 में से होकर स्थित आवागमन के रास्ते को व खसरा नम्बर 221 के रास्ते को जोडने के लिए संलग्न नजरी नक्शे अनुसार 16 फीट चौडाई अनुसार रास्ता प्रार्थी व अन्य के उपयोग उपभोग में है। जिसमे से होकर आवागमन करने पर अप्रार्थीगण द्वारा विवाद किया जाता है। अतः अप्रार्थी सं0 15 राज्य सरकार से रास्ते का प्रस्ताव लेकर मुताबिक नजरी नक्शें में प्रदर्शित अनुसार ग्राम डांगरवाडा खुर्द में प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 312 की भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के खातेदारी खसरा नम्बर 223, 224 की भूमि मे होकर 16 फीट चौडाई अनुसार गै0मु0आम रास्ता कायम करते हुए, उक्त गै0मु0रास्ते को खसरा नम्बर 221 गै0मु0रास्ते से जोडा जाने एवं जमाबन्दी खतौनी व राजस्व नक्शें में अमल दरामद इन्द्राज करने के आदेश दिया जावें। वकील अप्रार्थी सं0 1 लगायत 12 ने अपनी बहस में जवाब में अंकित बिन्दूओं का वर्णत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी की भूमि रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 221 जो की जेडीए की रास्ता की भूमि के लगवा स्थित है जिसमें होकर आवागमन सुचारू रूप से संचालित है जिसका नक्शा संलग्न है तथा नक्शा का अवलोकन करने मात्र से स्पष्ट है कि प्रार्थी की भूमि रास्ते के लगवा स्थित है तथा प्रार्थी मिनप्रार्थीगण को जबरन हेरान परेशान करने के आशय से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। खसरा नम्बर 221 रास्ते की भूमि है जो प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 312 के लगती हुई है जिसमें होकर प्रार्थी अपनी भूमि खसरा नम्बर 312 आते जाते है तथा कानूनन जिस खातेदार की भूमि रोड के लगती हुई स्थित है उस खातेदार को कानूनन दुसरा रास्ता नही दिया जा सकता है तथा राजस्व रिकार्ड नक्शा का अवलोकन करने पर स्पष्ट दर्शित है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 312 के लगता हुआ जेडीए का रिकार्डेड रास्ता खसरा नम्बर 221 स्थित है। ऐसी स्थिति	

में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निराधार होने से खारीज फरमाया जावें।

पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का अवलोकन करने एवं वकील उभय पक्षों की बहस का मनन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा ग्राम डांगरवाडा खुर्द में स्थित अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 312 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगणों की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 223 व 224 में रास्ता चाहा है। लेकिन पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व नक्शों का अवलोकन पर करने पाया कि प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 221 पर स्थित है। जो रिकार्डेड रास्ता है। अतः प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के लिए एक से अधिक रास्ता दिया जाना उचित नही है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।